न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 188/2023 GCMS No.—2022/69
(पूर्व दर्ज नंबर 30/22)

भंवरलाल पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. चन्द्रमोहन शर्मा पुत्र श्री नारायण सहाय शर्मा
2. चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र श्री नारायण सहाय शर्मा
3. जितेन्द्र चन्द्र शर्मा पुत्र श्री नारायण सहाय शर्मा
4. रमा शर्मा पुत्री श्री नारायण सहाय शर्मा
5. श्यामा शर्मा पुत्री श्री नारायण सहाय शर्मा
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. सरकार जरिये उप तहसीलदार बगरू तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. गोपाल पुत्र लादूराम जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. मैसर्स लैण्डमार्क एक्जीम प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 3 मुनीरिका मार्ग बसन्त विहार नई दिल्ली निदेशक श्री विनोद सलूजा पुत्र दीवान चन्द सलूजा जाति पंजाबी पॉवर अर्टोनी होल्डर विनोद गोयल पुत्र मणीशंकर गोयल जाति महाजन निवासी मैसर्स बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय सिक्सथ फ्लोर अपेक्स मॉल टोंक रोड जपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश श्रीमान उपतहसीलदार बगरू जिला जयपुर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1154 भरा गया जो दिनांक 03.12.2021 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री रामगोपाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री हिमांशु सोगानी अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ओर से।
3. श्री उमेश पारीक अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 8 की ओर से।
4. श्री रामचन्द्र शर्मा अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 9 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 11.03.2025

अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार बगरू के निर्णय 03.12.2021 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1154 वाके ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 17.05.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त सोगानी उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 6 व 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश पारीक उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र शर्मा उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर पत्रावली बहस हेतु

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

नियत की गई। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो की बहस माने जाने का कथन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट अपील मीमो में वर्णित तथ्यों अनुसार अपीलाधीन भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 2/5 निहित है जिसके संबंध में एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम जयपुर में प्रस्तुत किया जो दिनांक 06.02.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी किया गया तत्पश्चात दिनांक 12.06.2015 को अन्तिम डिक्री जारी की गयी। जिससे पीडित होकर अपीलांट ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर में प्रस्तुत की थी जो भंवर लाल बनाम मैसर्स लैण्ड मार्क एक्जीम प्रा0लि0 व अन्य 336/2015 व एक अन्य अपील संख्या 545/2015 प्रस्तुत की थी। जिसमें राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा दोनो अपीले खारिज की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गयी जिसके निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक एस.बी.सिविल रिट पिटिशन 9086/2019 भंवरलाल बनाम लैण्ड मार्क एक्जीम व अन्य के विरूद्ध दिनांक 18.05.2019 को प्रस्तुत की गयी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को स्थगन आदेश पारित किया गया जिसके बावजूद अपीलांट द्वारा उपतहसीलदार बगरू द्वारा दिनांक 03.12.2021 को उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 के हक में तस्दीक किया गया है। उक्त भूमि का हाल अपीलांट दर हिस्से सहखातेदार है तथा मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। इन सभी तथ्यों की बिना जांच किये अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अधीनस्थ राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट की रिट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को स्थगन आदेश जारी किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व भूमि के प्रभावित पक्षकार को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, ना ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कब्जे की जांच की गयी और ना ही उन पर लागू होने वाले कानूनी प्रावधानो की जांच की गयी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 18.04.2022 को अपनी जमाबन्दी लेने पर ज्ञात हुआ इसके पश्चात अपीलांट ने नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार बगरू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 03.12.2021 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1154 को अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात के पूर्व खातेदार कृष्णा देवी पुत्री श्रीनारायण के फौत होने पर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 1154 दिनांक 03.12.2021 तस्दीक किया गया है। स्व. कृष्णा देवी की मृत्यु के पश्चात रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 का नाम विधिवत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गया इसी आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिट पिटीशन आदेश दिनांक 06.07.2022 द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसी सूरत में अपील अपीलांट प्रारम्भिक स्तर पर कानूनी बल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार अपील पेश की गयी है। अपीलांट अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित पक्षकार नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया इसी बिन्दु पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की गयी है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 9 ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पा0 संख्या 9 का सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के तकासमा आदेश से पृथक खाता संख्या बनाया जा चुका है। अपीलाधीन नामान्तकरण में विवाद अपीलांट एवं रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 के मध्य ही है। अपीलांट द्वारा विरासत के नामान्तकरण को गलत तथ्यो के आधार पर चुनौती दी गयी है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 8 ने अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 व 9 के कथनो पर सहमति प्रदान की गयी।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1154 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र वारिसान एवं उपतह0 बगरू के आदेश कमांक 1523 दिनांक 02.12.2021 के आधार पर दर्ज किया गया। जिसके आधार पर उप तहसीलदार बगरू द्वारा दिनांक 03.12.2021 को स्व0 कृष्णा देवी पुत्री श्रीनारायण का विरासत का नामान्तकरण संख्या 1154 उसके विधिक वारिसान रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 के हक में स्वीकार किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में उज्र पेश किया गया है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन विचाराधीन रहा है इसके बावजूद अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया। वकील पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात, तथ्यो के अवलोकन से जाहिर है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रकरण का निरस्तारण किया जा चुका

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा भी न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी कि रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 स्व. कृष्णा देवी के वारिसान नहीं है तथा अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में अपीलांट के किस प्रकार अपना हक अधिकार निहित रखते है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, अपीलाधीन नामान्तकरण स्व. कृष्णा देवी के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है जिस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर एवं उपतहसीलदार बगरू को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर